न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बक्सर

****

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश वाद सं0–84/2012 दा0खा0 पुन मु0 कैलाशपति कुँवर बनाम त्रिलोकी सिंह	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी तारीख सहित
	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमराँव के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या **49/10-11** में दिनांक **09-04-2012** के द्वारा पारित आदेश से विछुब्ध होकर मु0 कैलाशपति कुँवर पति–विश्वनाथ राय, सा0–कुआँवन, थाना–ब्रह्मपुर, जिला–बक्सर दाखिल किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक **02-07-2012** को यह वाद दाखिल किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक **02-09-2014** को सुनवाई के क्रम में यह बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमराँव के द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है। इसे स्वीकृत कर सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया, तब अपीलार्थी का अपील आवेदन को **Admit** (स्वीकृत) करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाने हेतु निदेशित किया गया। अपीलार्थी वाद स्वीकृत होने के उपरांत से ही लगातार अनुपस्थित होते आ रहे हैं। दिनांक **05-07-2016** से दिनांक **22-05-2018** तक कुल **08** तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। केवल दिनांक **16-05-2017** को हाजिरी दिया गया है। दिनांक **03-04-2018** को चेतावनी देते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया था। साथ ही यह भी अंकित किया गया था कि यदि आप अगली तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो यह माना जायेगा कि इस वाद में आपको कोई अभिरूचि नही है एवं वाद की कार्रवाई को खारिज कर दी जायेगी। फिर भी अगली तिथि को भी अनुपस्थित रहे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूचि नही है। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद को संचालित रखने से न्यायालय का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ हो रहा है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमराँव को भेजें। लेखापित एवं शुद्वित। 22/05/18 जिला दण्डाधिकारी, बक्सर। 22/05/18 जिला दण्डाधिकारी, बक्सर।	